लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल 462 021
दूरभाष– 91–0755–2583650 फेक्स– 91–0755–2583651
ई–मेल dpimp@sancharnet.in

क्रमांक/विद्या/मा.अ.आ./ए/15/2008/2014 भोपाल, दिनांक - 19/8/08

प्रति,

समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

2– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शिक्षण संस्थाओं हेतु निर्देश।

संदर्भः– 1– संचालनालय के पत्र क्रमांक/250 दिनांक 22.5.2002, क्रमांक 280 दिनांक 2/4/2003, क्रमांक/1098 दिनांक 17/06/2004, क्रमांक/भोजन/441 दिनांक 16/07/2004,पत्र क्रमांक/1427 दिनांक10/09/2004,क्रमांक/1837दिनांक 18/11/2004,क्रमांक/280 दिनांक 14/2/2005, क्रमांक/431 दिनांक 11/03/2005,क्रमांक/11 दिनांक 18/03/2005, क्रमांक/532 दिनांक 10/04/2005, क्रमांक/336 दिनांक 17/06/2005,म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा का पत्र दिनांक10/3/2005, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/एफ/50–12/20–3/05 दिनांक 30/04–2005 क्रमांक–1572 दिनांक 08/11/2005, 17/05/2007 क्रमांक 939 दिनांक 23–06–2005 स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र दिनांक 2 जून 2006, क्रमांक–300दिनांक 16/03/2006, क्रमांक–1695 भोपाल दिनांक 28/09/2006, क्रमांक–790 दिनांक 17–05–2007 क्रमांक–2081 दिनांक 20–08–2008, क्रमांक–2093/प्रस/स्कूल0शि/2008/20–2 भोपाल, दिनांक 20 जून 2008 एवं क्रमांक/एफ/44–58/2008/20–2 भोपाल, दिनांक 09/07/2008

––00––

शिक्षण संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन हेतु संचालनालय द्वारा समय–समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। इनका मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय, मानव अधिकार आयोग तथा राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रयास यह किया जाये कि जिलान्तर्गत समस्त शासकीय/अशासकीय एवं सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध शिक्षण संस्थाओं में इनका पालन हो तथा मॉनिटरिंग के दौरान भी इनके पालन की स्थिति पर टीप अंकित की जाये। जिन संस्थाओं द्वारा दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जाता हो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये तथा अशासकीय संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

प्रमुख दिशा निर्देश इस प्रकार है:–

1– **प्रत्येक शिक्षण संस्था में नियमानुसार पालक शिक्षक संघ का गठन सत्रारंभ में कर लिया जाए।**

2– **यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक पालक संघ की मासिक बैठक आयोजित हो। बैठक में विशेष तौर से निम्नांकित के संबंध में चर्चा की जाकर सहमति के आधार पर आवश्यक उपाय सुझाए जाएं और उन सुझावों का क्रियान्वयन शाला प्राचार्यो/शाला प्रबंधकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाये:–**

(I)– शिक्षक पालक संघ की सहमति से यह तय किया जाये कि निर्धारित पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी कौनसी विषय पुस्तकें है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये पढ़ाया जाना आवश्यक है।

(II)– पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शाला के बच्चों के लिये विषयवार अध्यापन हेतु दिन/समय चक्र का निर्धारण किया जाये। शिक्षक/पालक संघ के माध्यम से यह समय चक्र निर्धारित होने से इसको प्रभावी ढंग से लागू करना संभव होगा।

(III)– शाला में पेयजल उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर के बच्चों को पीने के पानी की बोतल साथ नहीं लाना पड़े, इसके लिये पालक शिक्षक संघ के माध्यम से पालकों का सहयोग प्राप्त किया जाये।

(IV)– अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक–पालक संघ एवं स्कूल प्रबंधन की संयुक्त भागीदारी से शाला में बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिये एक वातावरण बनाया जाये, जिससे स्वनिगमित व्यवस्था स्थापित हो सके।

(V)– शाला की समय सारणी कुछ इस प्रकार तैयार की जाये कि बच्चों को पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी पुस्तकें प्रतिदिन शाला में न लानी पड़े, अपितु केवल उतनी ही पुस्तकें उनके द्वारा लायी जावें, जिनका अध्ययन समय सारणी के आधार पर उस दिन के लिये निर्धारित है। यह भी विचार किया जाय कि क्लास वर्क एवं होमवर्क के लिये पृथक–पृथक नोटबुक तैयार किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं और किस दिन कौनसी नोटबुक लायी जाये।

(VI)– म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक–362/2005/20–1 भोपाल, दिनांक 10/02/2005 तथा मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/44–58/2008/20–2 भोपाल, दिनांक 09/07/2008 द्वारा विद्यालय के परिवेश को व्यवधान मुक्त करने तथा शैक्षणिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टि से प्रदेश की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों तथा छात्रों द्वारा विद्यालय प्रांगण में मोबाइल लाना प्रतिबंधित किया है इसका परिपालन समस्त शिक्षण संस्थाओं में सुनिश्चित किया जाए।

(VII)– विद्यालयों के समय निर्धारण में भी पालक–शिक्षक संघ की सहमति होनी चाहिए और समय निर्धारण में इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए कि छोटे बच्चों की कक्षाएँ दोपहर में लग सके। पालक–शिक्षक संघ के माध्यम से बच्चों के बस्तों को अवांछित बोझ से बचाने के लिये तथा समय निर्धारण आदि के लिये शाला स्तर पर ऐसे अन्य उपाय भी सोचे जा सकते है और उनका क्रियान्वयन भी किया जा सकता है।

(VIII)–शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक दण्ड (कारपोरल पनिशमेन्ट) न दिया जाये, इस हेतु समस्त शासकीय, अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख की बैठक आयोजित कर उन्हें सख्तरूप से निर्देश दें कि उनके विद्यालयों में इस प्रकार की घटना नहीं घटे। इसके उपरान्त भी यदि किसी विद्यालय से शिकायत प्राप्त होती है तो संस्था की विभागीय अनुमति/मान्यता/अनापत्ति समाप्त करने की कार्यवाही की जाये।

शिक्षकों के समय–समय पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों में भी उन्हें बच्चों को शारीरिक दण्ड न देने के संबंध में सचेत करें तथा शिक्षक पालक संघ को इस संबंध में जागरूक करें और उनकी बैठकों में यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(IX)– शिक्षण संस्थाओं में नगरीय कल्याण विभाग द्वारा अग्नि दुर्घटना के बचाव हेतु बनाये गये नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

(X)– शालेय छात्रों को स्कूल लाने एवं घर पहुँचाने वाले प्रत्येक वाहनों को सूचीबद्ध किया जावे तथा उनके अनुबंध सम्पादित करने के पूर्व अनिवार्य रूप से घरेलू एल.पी.जी. गैस से वाहन संचालित न करने की शर्त रखी जाये।

(XI)– शिक्षण संस्थाओं में बच्चों को लाने–ले जाने के लिये उपयोग में आने वाली बसों के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जायेः–

- बस के आगे पीछे बड़े एवं सुवाच्य अक्षरों में "स्कूल बस" लिखा जाये।
- यदि बस किराये की है तो उस पर आगे एवं पीछे "विद्यालयीन सेवा (On School Duty)" लिखा जाये।
- विद्यालय के लिये उपयोग में लायी जाने वाली किसी भी बस में निर्धारित सीटों से "अधिक संख्या में बच्चे नहीं बैठाए" जाएं।
- प्रत्येक बस में अनिवार्य रूप से "फर्स्ट–एड–बॉक्स" की व्यवस्था हो।
- बस की खिड़कियों में "आड़ी पट्टियाँ (Horizontal Grills)" अनिवार्य रूप से फिट करवाई जाएं।
- प्रत्येक बस में ::अग्नि शमन यंत्र " की व्यवस्था हो।
- बस पर "स्कूल का नाम और टेलीफोन नम्बर" अवश्य लिखा हुआ हो।
- बस के " दरवाजे पर सुरक्षित सिटकनी" लगी हो।
- वाहन चालक को "भारी वाहन चलाने का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव" होना चाहिये तथा पूर्व में ट्रेफिक "नियमों के उल्लंघन का दोषी नहीं" ठहराया गया होना चाहिये।
- मोटर वाहन नियम – 17 के अनुसार प्रत्येक बस में बस चालक के अतिरिक्त "एक अन्य व्यक्ति" की व्यवस्था की जाये।
- "बच्चों के बस्ते रखने के लिये सीटों के नीचे जगह की व्यवस्था" की जानी चाहिए।
- सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को लाते–ले–जाते समय " बस में एक व्यक्ति (Escort) यथा संभव स्कूल के एक शिक्षक की व्यवस्था" की जाये।

(XII)– विद्यालयों की सुरक्षा में निजी सुरक्षाकर्मी की नियुक्ति पुलिस विभाग से सम्बंधित सुरक्षाकर्मियों का चरित्र सत्यापन करवाये बिना नहीं की जाये एवं ड्यूटी के समय इन गार्डो के द्वारा पहचान पत्र एवं नेमप्लेट भी ड्रेस पर यथास्थान लगाई जावे।

(XIII)–किसी विशिष्ट व्यक्ति के आगमन पर उनके स्वागत के लिए बच्चों को नहीं बुलाया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों का उपयोग किसी भी हालत में नहीं किया जाये। यदि कोई अशासकीय संस्था इसका पालन नहीं करती है तो उसकी विभागीय अनुमति/मान्यता/अनापत्ति प्रमाण–पत्र समाप्त करने की कार्रवाई की जाये।

(XIV)– विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के दौरान देशभक्ति,राष्ट्रप्रेम, स्थानीय संस्कृति पर आधारित शालीन लोकनृत्य, भारतीय संस्कृति एवं लोक परम्पराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम का ही आयोजन किया जाये। ताकि विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों एवं सामाजिक चेतना का समुचित विकास हो सके।

(XV)– मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक–2093/प्रस/स्कूल0शि/2008/20–2 भोपाल, दिनांक 20 जून 2008 द्वारा तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के सेक्शन–4 के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। सभी विद्यालय सार्वजनिक स्थलों की श्रेणी में आते है। अतः विद्यालय परिसरों में धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि कोई शिक्षक, अन्य कर्मचारी या आगंतूक स्कूल परिसर में धूम्रपान करते पाया जाये तो उस पर आर्थिक दण्ड किया जावे एवं दुबारा पकड़े जाने पर उक्त कर्मचारी की सी. आर. में उल्लेखित किया जाये।

(XVi) विभिन्न आयोजनों, अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर,, राष्ट्रीय कार्यक्रमों (15 अगस्त 26 जनवरी आदि) में स्कूली बच्चों को सम्मिलित करने पर उनकी असुविधा/तकलीफ का ध्यान नहीं रखा जाता, जिस कारण बच्चे भूख, प्यास, लू आदि से पीड़ित होते हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चाहा गया है कि जहाँ राष्ट्रीय बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना जगाते हैं, उनमें बच्चों को भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किन्तु बच्चों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित किया जाये कि स्कूली बच्चे इन आयोजनों में कितने घण्टें भाग लें तथा उन्हें चिकित्सा सहायता, जलपान, आवागमन आदि की सुविधा सुनिश्चित हो।

यदि उक्त निर्देशों का पालन शिक्षण संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये। शासकीय शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यो के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीक्रण,नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधान के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाकर शास्ति अधिरोपित की जाये तथा यदि अशासकीय शिक्षण संस्थाओं में शाला प्रबंधकों द्वारा सुझाये गये उपायों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है और बस्ते का बोझ कम करने संबंधी समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उन संस्थाओं की विभागीय अनुमति समाप्त करने की विधिवत् प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करें। इस प्रकार उन विद्यालयों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाये, जिन्हें विभागीय अनापत्ति के आधार पर सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. से मान्यता प्राप्त है। ऐसे विद्यालयों की विभागीय अनापत्ति समाप्त करने की कार्यवाही करें तथा आपके द्वारा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में आप स्वयं एवं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शालाओं की मॉनिटरिंग करें और संस्थावार पालक शिक्षक संघ द्वारा सुझाये गये उपायों एवं उनके क्रियान्वयन का प्रतिवेदन प्राप्त करें।

(बी0 आर0 नायडू) 18/8/08
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठां. क्रमांक/विद्या/मा.अ.आ./ए/15/2008 /2015 भोपाल, दिनांक 19/8/08
प्रतिलिपिः–

1– सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल को सूचनार्थ।
2– आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश भोपाल को सूचनार्थ।
3– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
4– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।

आयुक्त 18/8/08
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/ 1706 /1682/20-2/2008 भोपाल, दिनांक 14/5/08

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- बुक बैंक योजना का नाम एवं स्वरूप परिवर्तन होने विषयक ।

-0-

विषयांतर्गत प्रदेश में शिक्षण सत्र 2006-07 तक बुक बैंक योजना लागू थी । शिक्षण सत्र 2007-08 से इस योजना का नाम परिवर्तित कर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना" कर दिया गया है । इस संबंध में आपको समय-समय पर अवगत कराया गया है । स्पष्टता की दृष्टि से इस योजना का स्वरूप पुनः स्पष्ट किया जा रहा है, जो कि निम्नानुसार है:-

(अ) इस योजनाके अंतर्गत निम्नानुसार विद्यार्थी लाभान्वित होगें:-

1- कक्षा 9वीं से 12 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राएं ।

2- कक्षा 9वीं से 12 तक सभी वर्गो-अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की छात्राएं ।

3- कक्षा 9वीं से 12 तक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र- छात्राएं ।

(ब) बुक बैंक योजना के अन्तर्गत सत्र समाप्ति के उपरान्त पुस्तके वापिस करने का प्रावधान था किन्तु इस योजना में विद्यार्थियों से पुस्तके वापिस नहीं ली जायेगी ।

(स) यह योजना शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ही है ।

1- सभी शासकीय हाईस्कूलों/हायर सेकेण्डरी स्कूलों को निर्देशित करें कि वे उक्त व्यवस्था अनुसार ही विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित करें

3- कक्षा 9वीं एवं 11 वीं की स्कूलों में रखी पिछले वर्षों की पाठ्य पुस्तकें इस वर्ष के पाठ्यक्रम में नहीं लगेंगी । अतः पुरानी पुस्तकों को कक्षा 9वीं एवं 11वीं के विद्यार्थियों को वितरित किया जाये ताकि वे इन पुस्तकों को सन्दर्भ ग्रन्थ के रूप में इनका उपयोग कर सकें ।

3- योजनांतर्गत पाठ्य पुस्तक (म.प्र.पा.पु.) निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
13/5/08
(एम०के० पाण्डे)
अवर सचिव
म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

विधा/202
16-6-08

A
16/6

विधा
30/5/08

---2/-----

पृष्ठांकन क्रमांक /1707/1682/20-2/08 भोपाल, दिनांक 14/5/08

प्रतिलिपि:–

1– निज सहायक, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

2– निज सहायक माननीय राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश शासन।

3– प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।

4– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।

5– आयुक्त आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल।

6 – आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।

7– आयुक्त जन संपर्क मध्यप्रदेश।

8– प्रबन्ध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, मध्यप्रदेश।

9– सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

10– समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

11– समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

12– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।

13– समस्त प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/5/08

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

13-6

3028
13.6.08

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक–विद्या/बु.बैं./ए/7/64/2008/927 भोपाल, दिनांक 30–06–2008

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शासकीय हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना कार्यक्रम वर्ष 2008.
संदर्भः– निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण (कक्षा 1 से 8 तक) के संबंध में जारी राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्रमांक–राशिके/ई.एण्ड.आर./2008/3162 भोपाल दिनांक 22/05/2008
2. संचालनलय का पत्र क्र.विद्या/बु.बैं/ए/7/64/08/845, दिनॉक 16/06/2008।

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र व्यवहारों का अवलोकन किया जाये । तदनुसार हाई स्कूल/ हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए पाठ्य पुस्तक वितरण के संबंध में समस्त कार्यवाही आपके मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुकी होगी। संदर्भित पत्र क्र. 02 में उल्लेखित पत्र दिनॉक 16/06/2008 में योजना में लाभांवित होने वाले छात्र–छात्राओं के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र. एफ–3–60/08/26–2, दिनॉक 27/06/2008 के संलग्न माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप इस योजना का लाभ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी वर्ग की छात्राओं तथा सभी वर्ग के छात्रों को दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला अंतर्गत भी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जाये।

उल्लेखनीय है कि अब पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा जिलों को विकास खंड स्तर तक निम्नानुसार पुस्तकें प्रदाय की जायेगी जो समस्त वर्ग के बालक–बालिकाओं को वितरित होना हैः–

1. कक्षा 9वीं एवं 10वीं के समस्त हितग्राही छात्र–छात्राओं को समस्त विषय की पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगन द्वारा प्रदाय की जायेंगी।
2. कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु भाषा की पुस्तकें सभी संकायों के विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा दी जायेंगीं
3. कक्षा 11वीं एवं 12वीं हेतु ऐच्छिक विषय के अंतगत केवल वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय की पुस्तकें ही पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदाय की जायेगी।

उक्त के अनुसार निम्नानुसार पुस्तकें हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की किसी भी निधि से क्रय कर समस्त वर्ग के बालक–बालिकाओं को उपलब्ध कराना हैः–

"कक्षा 11वीं एवं 12वीं के कला, कृषि, गृहविज्ञान, फाईन आर्ट्स आदि के समस्त हितग्राही छात्र–छात्राओं को केवल एच्छिक विषय की पाठ्य पुस्तकें संबंधित प्राचार्य द्वारा विद्यालय में उपलब्ध किसी भी स्थानीय निधि से नियमानुसार क्रय की जावेगी"। (भाषा की पुस्तकें कय नहीं करना है)

इन पुस्तकों हेतु संस्था प्राचार्य द्वारा क्रय तथा वितरण के पश्चात् पुस्तकों के देयक की एक प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रस्तुत की जायेगी। देयक में नियमानुसार कमीशन के कटौत्रे का उल्लेख भी होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों से प्राप्त देयकों को संकलित कर निर्धारित मांगपत्र में लोक शिक्षण संचालनालय को मांगपत्र भेजा जायेगा, जिसके आधार पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा बंटन दिया जायेगा।

(बी.आर. नायडू)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

sh

पृष्ठां.क्र0विद्या/बु.वें./ए/7/64/2008/928

भोपाल, दिनांक 30/06/2008

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।

2— आयुक्त, आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन भोपाल।

3— प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि **लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्र.विद्या/ए/920/08/07, दिनॉक 30/06/2008 अनुसार सभी जिलों में विकास खंड स्तर तक कक्षा 09 से 12 तक के समस्त वर्ग के बालक—बालिकाओं हेतु पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।**

4— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।

5— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, मध्यप्रदेश की ओर **निर्देश दिये जाते है कि संभागान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग की जाये।**

6— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

7— जिला उपायुक्त/जिला संयोजक आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8— समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

sh